

राजस्थान सरकार  
उद्योग(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.15(1) आयु.उ./ई.एम. अनु./डीओ-पत्र/2008

जयपुर, दिनांक 7 JUL 2014

:- अधिसूचना :-

विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के पत्र क्रमांक 5(2) 2010-सू.ल.म.उ. नीति दिनांक 21.02.2011 की अनुपालना में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 03.05.2011 का अतिक्रमण करते हुए समस्त महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों व उनके अवकाश पर (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) अथवा अनुपस्थित होने पर जिला उद्योग केन्द्र में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी जिनका स्तर जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न ना हो, को पदेन महाप्रबंधक घोषित किया जाकर एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के अर्न्तगत उद्यमी ज्ञापन भाग-1 व भाग -2 स्वीकार करने के लिये एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

राज्य के समस्त जिला उद्योग उपकेन्द्रों के प्रभारी अधिकारी, जिनका स्तर जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न ना हो, को भी पदेन महाप्रबंधक घोषित किया जाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उद्यमी ज्ञापन भाग-1 व भाग-2 स्वीकार करने के लिये एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(श्रीमति शुचि शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110108 को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(2)/2012-सू.ल.म.उ. नीति दिनांक 26.06.2012 के क्रम में।
3. आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, 22 गोदाम औद्योगिक सम्पदा जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
7. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

KTO



सत्यमेव जयते


राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त उद्योग  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ई.एम अनु./डीओ-पत्र/2008

दिनांक : 11-7-2014

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग के समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ।
2. रक्षित पत्रावली।

  
(अविन्द्र लढडा)  
संयुक्त निदेशक, उद्योग